लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बरः–84/2019 प्रार्थना पत्र
ीलाल पिता भवाना जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––प्रार्थी

बनाम

ाबू मोहम्मद पिता हाजीमोहम्मद मुसलमान, उम्र बालिगनिवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
लू पिता कल्याण गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मति मांगी देवी पत्नि दुर्गा गाडरी, उम्र बालिग निवासी तेजाजी खेड़ा सुवाणा तहसील भीलवाड़ा
गणेश पिता सवाईराम जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
सीताराम पिता ज्वारा जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
गणेश पिता घीसा जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
मति कमला पत्नि श्री रामेश्वर जाट, उम्र बालिग निवासी ट्रॉसपोर्ट का खेड़ा तहसील भीलवाड़ा
रामेश्वर पिता घीसा जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–31.7.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व ियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल पटवार दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1516/2 रकबा 4 बीघा 1 1518 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1524/2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 1524/3 रकबा 1 बिस्वा, /2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 9 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण ्त आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.8.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलव किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8 व 9 के सम्मन बाद तामिल हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8 व 9 उपस्थित नही। गण संख्यां 1, 2, 3, 4, 6, 8 व 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत ुपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 10.5.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश गया हैं। विपक्षी संख्या 5 व 7 उपस्थित नहीं । विपक्षी संख्या 5 व 7 को कितनी ही मर्तबा त् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 19.7.2019 को एक कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय हित में प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध ने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1516/2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 1518 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1524/2 रकबा 2 1 बिस्वा, 1524/3 रकबा 1 बिस्वा, 1525/2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 9 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 450/–रूपये (चार सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर श्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये ीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner